



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12052026-272450
CG-DL-W-12052026-272450

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16]	नई दिल्ली, मई 3—मई 9, 2026, शनिवार/वैशाख 13—वैशाख 19, 1948
No. 16]	NEW DELHI, MAY 3—MAY 9, 2026, SATURDAY/VAISAKHA 13—VAISAKHA 19, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस तरह के संशोधन से पहले किए गए या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय एतद्वारा आर्थिक कार्य विभाग में समूह 'ग' (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) के पद से संबंधित भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, समूह 'ग'(मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- इन नियमों को आर्थिक कार्य विभाग, समूह 'ग' (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आर्थिक कार्य विभाग समूह 'ग' (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2010, की अनुसूची में, –

(क) कॉलम (4) में, कॉलम शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित कॉलम शीर्षक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

पे मैट्रिक्स में स्तर
(4)
लेवल 1 (₹18000-56900)

[फा. सं. A-12011/01/2026-Ad.I]

संतोष कुमार, अवर सचिव

नोट : प्रमुख नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (1) में दिनांक 08-11-2010 की जी.एस.आर संख्या 205 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th May, 2026

G.S.R. 99.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, excepts as respects things done or omitted to be done before such amendment, the President hereby makes the following rule further to amend the Department of Economic Affairs, Group 'C' (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010 regulating the method of recruitment relating to the post of Group 'C' (Multi-Tasking Staff) in the Department of Economic Affairs, namely :-

- These rules may be called the Department of Economic Affairs, Group 'C' (Multi-Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Economic Affairs, Group 'C' (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010, –

- in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

Level in Pay Matrix
(4)
Level 1 (₹ 18000-56900)

[F. No. A-12011/01/2026-Ad.I]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub section (1) vide G.S.R No. 205 dated 08-11-2010.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 100.— अधिसूचना संख्या एस.ओ. 92 (ई) दिनांक:24 फरवरी, 1982 और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 199 (ई) दिनांक:10 मार्च, 1992 के तहत किए गए (प्रथम संशोधन), अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2889 (ई) दिनांक 3 दिसंबर, 2010 के तहत किए गए (द्वितीय संशोधन) और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 351 (ई) ,दिनांक 27 मई, 2020 के तहत किए गए (तृतीय संशोधन) बाद के संशोधनों के अधिक्रमण में , केंद्र सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 1971 का 40) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को कथित अधिनियम के प्रयोजन हेतु संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और कथित अधिकारी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उसके द्वारा 'संपदा अधिकारी' को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उक्त सारणी के कालम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निर्धारित हैं।

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमाएं	अवधि
1	2	3	4
1	श्री रेमंड आंतोनियो डायस बारेटो , वरिष्ठ उप वस्तु प्रबंधक	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक, जो भी पहले हो।
2	श्री पी. एस. सुरेश कुमार, कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक, जो भी पहले हो।
3	श्री गुरुदास गडकर, अधीक्षण अभियंता (सिविल)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
4	श्री प्रदीप बांदेकर, सहायक सचिव ग्रेड- II	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
5	श्री संजय बानावलीकर , सहायक अभियंता (सिविल)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
6	श्री राज नाडकर्णी, सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।

7	श्री गजेश तलावलीकर , कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
8	श्री अब्दुलसलाम एच. कार्यकारी अभियंता (सिविल)	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
9	श्री अमित कुमार गुप्ता, उप सचिव	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।
10	श्री रविंद्र चोपड़ेकर, उप मुख्य लेखा अधिकारी	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा में रहने तक , जो भी पहले हो।

2. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त सभी 10 (दस) भू-सम्पदा अधिकारी सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) के तहत उपरोक्त मौजा के अंतर्गत आने वाले सभी भूमि एवं बिल्डिंग पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-12019/1/2026-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 30th April, 2026

G.S.R. 100.—In supersession of Notification No. S.O. 92 (E) dated 24th February, 1982 and subsequent amendments (*first amendment*) made thereafter to it vide Notification No.S.O.199 (E) dated 10th March, 1992, (*second amendment*) vide Notification No. S.O. 2889 (E) dated 3rd December, 2010 and (*third amendment*) vide Notification No. G.S.R. 351 (E) dated 27th May, 2020, the Central Government by exercise of the powers conferred under Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), hereby appoints the Officers of Mormugao Port Authority mentioned in the Column (2) of the below table, to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises, specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table:

TABLE

Sr. No.	Name & Designation of the Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
1	2	3	4
1	Shri Raymond Antonio Dias Barreto, Senior Deputy Materials Manager	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

2	Shri P. S. Suresh Kumar, Executive Engineer (Mechanical)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
3	Shri Gurudas Gadkar, Superintending Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
4	Shri Pradeep Bandekar, Assistant Secretary Grade-II	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
5	Shri Sanjay Banaulikar, Assistant Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
6	Shri Raj Nadkarni, Assistant Executive Engineer (Mechanical)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
7	Shri Gajesh Talaulikar, Executive Engineer (Mechanical)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
8	Shri Abdulsalam H. Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
9	Shri Amit Kumar Gupta, Deputy Secretary	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.
10	Shri Ravindra Chopdekar, Deputy Chief Accounts Officer	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Mormugao Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier.

2. All the 10 (ten) Estate Officers appointed under this Notification will be able to exercise powers conferred under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants Act, 1971, on all the lands and buildings covered by the above mouzas concurrently.

The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12019/1/2026-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.